न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 04 / 2024

1. हरदीप कौर पत्नी अवतार सिंह
2. अमृत सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासीगण मकान नं. 110, सैक्टर नं. 2, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
2. रणजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 39 एन. जी. सी. (ढाणी) ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़

रेस्पोडेंट्स

बनाराजगी निर्णय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ दिनांक 30.01.2006, जिसके जरिये इन्तकाल सं. 285 दिनांक 30.01.2006 तस्दीक किया गया, बमुराद मन्सूखी उक्त निर्णय व इन्तकाल।

उपस्थितः— 1. श्री नरेश कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.03.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय अवतार सिंह व रेस्पोण्डेंट सं. 2 रणजीत सिंह हकीकी भाई है। अपीलांट के पिता एवं रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम चक 39 एन.जी.सी. के खाता सं. 15/12 में 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल थी। स्वर्गीय अवतार सिंह की मृत्यु दिनांक 10.06.2005 को हो चुकी है। स्वर्गीय अवतार सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपीलाधीन कृषि भूमि का सम्मिलित करते हुए अपने हक व हिस्सा की समस्त आराजी की वसीयत दिनांक 07.05.2005 को अपीलांट के नाम बरूबरू गवाहान निष्पादित करवा दी थी। स्वर्गीय अवतार सिंह की मृत्यु उपरान्त अपीलांट सं. 1 द्वारा वसीयती सम्पत्ति का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमनागढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा मुताबिक वसीयत स्वर्गीय अवतार सिंह के नाम दर्ज भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने की इस्तदुआ चाही गई। उपरोक्त कृषि भूमि अपीलांट के पति व पिता व रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम संयुक्त खाता में बहिस्सा बराबर दर्ज थी तथा इसी अनुसार मुताबिक वसीयत स्वर्गीय अवतार सिंह को प्राप्त शुदा 1/2 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज की जानी थी। अपीलांट सं. 1 तत्समय अपने पति के आकस्मिक मृत्यु के कारण अवसाद में थी एवं अक्सर बीमार रहती थी तथा अपीलांट सं. 2 नाबालिग था जिस कारण इस समस्त प्रकरण में पैरवी रेस्पोण्डेंट सं. 2 द्वारा ही की जाती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत वसीयत में दिनांक 30.01.2006 को आदेश पारित करते हुए मुताबिक वसीयत दिनांक 07.05.2005 के मुताबिक इंतकाल दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से अपीलांट के पति व पिता स्वर्गीय अवतार सिंह व रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम दर्ज कुल 1.138 हैक्टेयर अपीलाधीन कृषि भूमि में से अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने वाले .569 हैक्टेयर के स्थान पर अपीलांट्स के नाम 0.379 हिस्सा का इंतकाल दर्ज कर दिया व शेष 0.759 हैक्टेयर का इंतकाल किसी कृपाल सिंह एवं रणजीत सिंह रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त इंतकाल के पश्चात् वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076—2079 में कथित कृपाल सिंह का नाम हटाते हुए .759 हैक्टेयर आराजी अकेले रणजीत सिंह रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने एवं

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के हक व हिस्सा की आराजी में से 0.190 हैक्टेयर आराजी कम कर दी। कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत वसीयत में पिता अपीलांट एवं रेस्पोण्डेंट सं. 2 का बहिस्सा बराबर का हिस्सा होना अभिकथित एवं साबित था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2006 की पालना न करते हुए जान–बूझकर अथवा रेस्पोण्डेंट सं. 2 को नाजायज लाभ पंहुचाने के उ द्देश्य से अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर दिया। वरबक्त चुनौतीधीन निर्णय एवं इंतकाल अपीलांट सं. 1 बीमार एवं अवसादित अवस्था में थी तथा अपीलांट सं. 2 नाबालिग था, जिन्हें उक्त निर्णय व इंतकाल बाबत् कभी कोई ज्ञान नहीं था। रेसपोण्डेंट सं. 2 द्वारा परिवार के मुखिया होने के कारण समस्त विधिक एवं कानूनी कार्यवाहियो सम्पादित की जाती थी। उनके द्वारा भी चुनौतीधीन निर्णय एवं इंतकाल को संगुप्त रखा गया। गत सप्ताह अपीलांट्स द्वारा जब उक्त आराजी का खाता विभाजन करवाने के उद्देश्य से जमाबंदी निकलवायी गई तो सर्वप्रथम अपीलांट्स को ज्ञात हुआ कि अपीलांट के नाम मात्र .379 हैक्टेयर आराजी ही दर्ज है तथा अपीलांट्स को प्राप्त होने वाली 1/2 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर की शेष 0.190 हैक्टेयर कृषि भूमि अविधिक रूप से रेस्पोण्डेंट सं. 2 के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजात् एवं नकलात् हासिल कर आज यह अपील बिना किसी देरी के अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर चुनौतीधीन इंतकाल संख्या–285 दिनांक 30.01.2006 खारिज फरमाया जावे एवं मुताबिक वसीयत अपीलाधीन आराजी 1.338 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर आराजी का इंतकाल मुताबिक आदेश अदालत मातहत दिनांक 30.01.2006 अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 को सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 की अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा चुनौतीधीन इंतकाल संख्या–285 दिनांक 30.01.2006 खारिज फरमाया जावे एवं मुताबिक वसीयत अपीलाधीन आराजी 1.338 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर आराजी का इंतकाल मुताबिक आदेश अदालत मातहत दिनांक 30.01.2006 अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.01.2006 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अवलोकन में पाया कि–

1. प्रार्थीया ने वसीयत दिनांक 07.05.2005 का इंतकाल दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ को विशेष राजस्व अभियान 2006 कैम्प सतीपुरा में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ़ द्वारा क्रमांक भू.अ./06/3–4 दिनांक 30.01.2006 से वसीयत अनुसार इन्तकाल कर करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अपीलाण्ट संख्या 01,02 को 0.569 है. एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को 0.569 भूमि के हकदार थे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2. तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ़ द्वारा कमांक भू.अ./06/3–4 दिनांक 30.01.2006 की पालना में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा नामांतरण सं0 285 दिनांक 30.01.2006 द्वारा अपीलांट हरदीप कौर पत्नी अवतार सिंह एवं अमृत सिह पुत्र अवतार सिंह की हिस्साकसी गलत दर्ज कर दी गयी है। अपीलांट्स के हिस्सा की 0.190 है. भूमि रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 के हिस्सा में दर्ज कर दी गयी है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के इंतकाल संख्या 285 दिनांक 30.01.2006 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़